

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /2288 /2020 दिनांक 09.12.2020

श्री अशोक सैन (RJ0687), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर (भीलवाड़ा) को दिनांक 19.10.2020 से 23.10.2020 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 24.10.2020 से 26.10.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।


श्री सैन की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (भीलवाड़ा) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर (भीलवाड़ा) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/56/2011/573 दिनांक : 9 .12.2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 13471 दिनांक 07.11.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अशोक सैन (RJ0687), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर (भीलवाड़ा) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर (भीलवाड़ा)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (भीलवाड़ा) ।


सहायक रजिस्ट्रार